न्यायालयः– जिला एवं सेशन न्यायालय, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी	:–	नाहर सिंह मीणा (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
जमानत याचिका संख्या	:–	158/2026
प्र.सू.रि. संख्या	:–	52/2026, पुलिस थाना खुनखुना
अपराध अंतर्गत धारा	:–	190, 191(2), 191(3), 115(2), 126(2), 117(2), 110 भारतीय न्याय संहिता
सीएनआर संख्या	:–	RJDK010013102026

1. बंटी सिंह पुत्र किशन सिंह, उम्र 28 साल,
2. रघुवीर सिंह पुत्र अजमल सिंह, उम्र 49 वर्ष ,
   निवासीगण जेवलिया बास, पुलिस थाना खुनखुना, जिला डीडवाना–कुचामन, राज.।

–– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

ः: ब ना म ः:

1. राज्य सरकार जरिये लोक अभियोजक,डीडवाना।

––अभियोजक

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
3. श्री रामेश्वरलाल भाकर, विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

–ः आ दे श ः– **दिनांकः– 05.06.2026**

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बंटी सिंह व रघुवीर सिंह के अधिवक्ता ने यह जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रस्तुत किया गया, जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 18.04.2026 को प्रार्थी शिवपाल सिंह ने पुलिस थाना खुनखुना में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी शिवपाल सिंह, श्रवण सिंह, धीर सिंह, गोविंद सिंह, बोदसिंह पर मंगज सिंह, रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र अजमल सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह, रामसिंह, हरिसिंह, मोहनसिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र मांगुसिंह, बंटीसिंह, खेम सिंह, मंगेज सिंह, भंवर सिंह, मनदीप सिंह, तेजपाल सिंह धारदार हथियार तलवार, चाकू व लोहे के सरिए लेकर आए व उन सब लोगों पर हमला कर दिया। पुलिस प्रशासन की गाड़ी गांव में आकर गयी उसके बाद इन सभी लोगों ने हत्या का प्रयास किया। श्याम सिंह पुत्र मंगजे सिंह के द्वारा फोन करके मनीष सिंह को जान से मारने की धमकी दे रहा है जो रिकॉर्डिंग मनीष के पास है। श्रवण सिंह पुत्र धनसिंह, शिवपाल सिंह पुत्र जयसिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, मनीष सिंह पुत्र पुत्र महेन्द्र सिंह के सिर पर गंभीर चोट आयी है। धीरसिंह पुत्र धनसिंह के नाक पर चोट आयी है। गोविदं सिंह पुत्र बोदुसिंह के भी चोट आई.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना खुनखुना द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण संख्या 52/2026 दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा अभियुक्तगण को दिनांक 31.05.2026 को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना में पेश किया गया, जहां से उनका जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अस्वीकार किया गया एवं वर्तमान में अभियुक्तगण अभिरक्षाधीन है।

3. बहस के प्रक्रम पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों

का पुनर्कथन करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनका जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, तथाकथित अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उपरोक्त पते के स्थायी निवासी हैं, जिनके पलायन करने व गवाहान को बहकाने का अंदेशा नहीं है। हस्तगत प्रकरण के परिवादी पक्ष द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के साथ मारपीट की गयी थी जिस बाबत् प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के विरुद्ध पुलिस थाना खुनखुना में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 51/2026 अंतर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज करवाई गई थी जिसके बचाव में हस्तगत प्रकरण के परिवादी पक्ष द्वारा यह झूठा प्रकरण प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज करवाया गया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता एवं पूर्व में दर्ज आपराधिक प्रकरणों को देखते हुए जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त रघुवीर सिंह के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना बताया है व प्रार्थी/अभियुक्त बंटी सिंह के विरुद्ध पूर्व में निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया हैः–

क्र.सं.	प्र.सू.रि.सं.	पुलिस थाना	अपराध धारा	वर्तमान स्थिति
1.	24/2020	डीडवाना	323, 341/34 भा.दं.सं.	1000/–रु जुर्माना व 1 साल हेतु पाबंद

5. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर परिवादी व अन्य के साथ विधि विरुद्ध जमाव कर बलवा कारित करते हुए स्वैच्छा मारपीट कर उनके शरीर पर साधारण एवं गंभीर चोटें कारित कर आपराधिक मानव वध करने के प्रयास करने संबंधी धारा 190, 191(2), 191(3), 115(2), 126(2), 117(2), 110 भारतीय न्याय संहिता के अपराध के आरोप है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस प्रकरण में दिनांक 31.05.2026 से गिरफ्तार होकर पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर ऐसे किसी अपराध का आरोप नहीं है जिसमें मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो। पक्षकारान के मध्य आपसी मारपीट के बारे में क्रॉस केस भी दर्ज होना केस डायरी से दर्शित होता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी शेष नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि मजरूब वर्तमान में ईलाजरत हो। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

6. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. बंटी सिंह पुत्र किशन सिंह, उम्र 28 साल, 2. रघुवीर सिंह पुत्र अजमल सिंह, उम्र 49 वर्ष , दोनों निवासीगण जेवलिया बास, पुलिस थाना खुनखुना, जिला डीडवाना–कुचामन की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता **स्वीकार** किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष पीठासीन अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस प्रकरण में विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् 50,000/– का मुचलका व 25,000–25,000/– की दो जमानतें (जिनमें से एक–एक जमानत पारवारिक सदस्य या निकट रिश्तेदार की हो) पेश कर तस्दीक करवा देने पर

उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया जाता है। न्यायिक नजीर **In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dtd. 31–01–2023** की पालना में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे। केस डायरी नियमानुसार लौटाई जावे।

(नाहर सिंह मीणा)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना।

7. आदेश आज दिनांक **05.06.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नाहर सिंह मीणा)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना।